



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 07.10.2021

1-विशेष टीम कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व थाना ईकोटेक-1 पुलिस द्वारा 02 अंतरराज्तीय वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 05 गाड़ियां बरामद।

दिनांक 06.10.2021 को विशेष टीम कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व थाना ईकोटेक-1 पुलिस द्वारा 02 अंतरराज्तीय वाहन चोर 1. मौ० अमजद पुत्र स्व० गुल मौहम्मद निवासी म०नं०-5, गली नं०-3, थाना तलय्या, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश, 2. सादिक सैफी पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी म०नं०-46/1152 सैफी नगर, थाना जगदीशपुरा, आगरा को थाना क्षेत्र के जी०बी०यू० चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 05 गाड़ियां 1. एक अल्टो कार रंग सफेद जिस पर गलत नं० MP09CU0637 अंकित है व सही नं० DL5CS5404 (सम्बन्धित मु०अ०सं० 26585/21 ई- पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट, दिल्ली) 2. एक अल्टो कार सिलवर रंग जिस पर गलत नं० MP15CA9274 अंकित हैं जिसे चेक करने पर सही नं० DL3CCM5056 पाया गया (सम्बन्धित मु०अ०सं० 9853/21 ई- पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट, शहादरा, दिल्ली) 3. डिजायर रंग सफेद जिस पर गलत नं० MP07CE4979 अंकित है (सम्बन्धित मु०अ०सं० 18683/21 ई- पुलिस स्टेशन एम०वी० थैफ्ट, मयूर विहार, दिल्ली) 4. डिजायर रंग सफेद जिस पर रजि नं० MP06CA5293 अंकित है (सम्बन्धित मु०अ०सं० 26059/21 ई- पुलिस

स्टेशन एमवी थैफ्ट, दिल्ली) 5. स्विफ्ट कार जिस पर रजि नं0 MP04CR3863 व चेसिस नं0 MA3EHKDLS0064994 बरामद की गई है।

अभियुक्त अंतरराज्यीय वाहन चोर है जो दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी की आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं तथा चोरी किये गये वाहनों को अन्य राज्यों में नम्बर प्लेट बदलकर बेच देते हैं।

अभियुक्तों का विवरण:

1. मौ0 अमजद पुत्र स्व0 गुल मौहम्मद निवासी म0नं0-5, गली नं0-3, थाना तलथ्या, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश।
2. सादिक सैफी पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी म0नं0-46/1152 सैफी नगर, थाना जगदीशपुरा, आगरा।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु0अ0सं0 269/2021 धारा 411/414/420/467/468/471/482 भादवि थाना ईकोटेक-1 गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 26585/21 ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट दिल्ली।
3. मु0अ0सं0 18683/21 एमवी थैफ्ट, मयूर विहार दिल्ली।
4. मु0अ0सं0 26059/21 ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट दिल्ली।

बरामदगी का विवरण:

1. एक अल्टो कार रंग सफेद जिस पर गलत नं0 MP09CU0637 अंकित है व सही नं0 DL5CS5404 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 26585/21 ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट, दिल्ली)
2. एक अल्टो कार सिलवर रंग जिस पर गलत नं0 MP15CA9274 अंकित हैं जिसे चेक करने पर सही नं0 DL3CCM5056 पाया गया (सम्बन्धित मु0अ0सं0 9853/21 ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट, शहादरा, दिल्ली)
3. डिजायर रंग सफेद जिस पर गलत नं0 MP07CE4979 अंकित है (सम्बन्धित मु0अ0सं0 18683/21 ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट, मयूर विहार, दिल्ली)

4. डिजायर रंग सफेद जिस पर रजि नं0 MP06CA5293 अंकित है (सम्बन्धित मु0अ0सं0 26059/21 ई- पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट, दिल्ली)

5. स्विफ्ट कार जिस पर रजि नं0 MP04CR3863 व चेसिस नं0 MA3EHKDLS0064994



2-थाना कासना पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की का अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के 02 आरोपी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 28/09/2021 को वादी द्वारा थाना कासना पर अभियुक्तों द्वारा वादी की पुत्री को नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण कर ले जाने तथा सामूहिक दुष्कर्म करने, वीडियो बनाकर वीडियो वायरल करने की धमकी देने तथा विरोध करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने एवं जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में तहरीर देकर थाना कासना पर मु0अ0सं0-504/2021 धारा 328/365/376(डी)/504/506 भादवि व 3(2)V SC/ST ACT व 5/6 पोक्सो एक्ट पंजीकृत कराया गया था जिसमे दिनांक 07.10.2021 को थाना कासना पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए मु0अ0सं0-504/2021 धारा 328/365/376(डी)/504/506 भादवि व 3(2)V SC/ST ACT व 5/6 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त 1.भूपेन्द्र उर्फ कुनाल पुत्र पप्पू उर्फ राजकुमार निवासी ग्राम अमीनाबाद उर्फ नियाना, थाना कासना गौतमबुद्धनगर, 2. भगत उर्फ कालू पुत्र फिरेराम निवासी ग्राम अमीनाबाद उर्फ नियाना, थाना कासना गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के सिरसा गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण:

1.भूपेन्द्र उर्फ कुनाल पुत्र पप्पू उर्फ राजकुमार निवासी ग्राम अमीनाबाद उर्फ नियाना, थाना कासना गौतमबुद्धनगर।

2. भगत उर्फ कालू पुत्र फिरेराम निवासी ग्राम अमीनाबाद उर्फ नियाना, थाना कासना गौतमबुद्धनगर।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0-504/2021 धारा 328/365/376(डी)/504/506 भादवि व 3(2)V SC/ST ACT व 5/6 पोक्सो एक्ट थाना कासना गौतमबुद्धनगर



3-थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा मोबाइल लूट करने वाले 02 लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट/चोरी के 02 मोबाइल फ़ोन व घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 07/10/2021 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा मोबाइल लूट करने वाले 02 लूटेरे 1. साजिद उर्फ माया पुत्र शकील सिद्दीकी निवासी सिरजा खानी, ग्राम बिलासपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर, 2. राजा सिद्दीकी पुत्र मासाअल्लाह निवासी सिरजा खानी, ग्राम बिलासपुर, थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के पीपल वाला गोलचक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 02 मोबाइल फ़ोन भिन्न-भिन्न कम्पनियों के (लूट/चोरी के) व 01 मोटरसाइकिल सफेद अपाचे रजि0 नं0 यूपी 16 सीई 4631 रंग सफेद (घटना में प्रयुक्त) बरामद हुई है।

अभियुक्तों का विवरण:

1. साजिद उर्फ माया पुत्र शकील सिद्दीकी निवासी सिरजा खानी, ग्राम बिलासपुर,, थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

2. राजा सिद्दीकी पुत्र मासाअल्लाह निवासी सिरजा खानी, ग्राम बिलासपुर, थाना दनकौर गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 971/21 धारा 392/411 भादवि थाना बीटा-2 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1.02 मोबाइल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनियों के लूट/चोरी के।

2.01 मोटरसाइकिल सफेद अपाचे रजि0 नं0 यूपी 16 सीई 4631 रंग सफेद (घटना में प्रयुक्त)।



4-थाना दादरी पुलिस द्वारा बलवा व हत्या का प्रयास करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 07.10.2021 को थाना दादरी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 831/2021 धारा 147/148/149/307/336/436/452/427/506 भादवि में वांछित अभियुक्त चाहत पुत्र जान लाल निवासी ग्राम कैमराला चक्रसैनपुर, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर को उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण:

अभियुक्त व उसके साथियों द्वारा दिनांक 11.08.2021 को वादिया के घर में घुसकर आगजनी, तोड़फोड़, पथराव करना व जान से मारने की नीयत से तेल छिड़कना व मारने की धमकी देना व घर का सामान जबरदस्ती ले जाने के सम्बन्ध में थाना दादरी पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त का विवरण:

चाहत पुत्र जान लाल निवासी ग्राम कैमराला चक्रसैनपुर, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 831/2021 धारा 147/148/149/307/336/436/452/427/506 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।



5-थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना लोगों से पैसे ठगकर बच्चों को डेंगू/वायरल बुखार की दवाई पिला रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 04 ड्राप की प्लास्टिक शीशी, एसबीएल होम्योपैथीक ड्राप की 01 शीशी व 08 फर्जी प्रमाण पत्र बरामद।

दिनांक 07/10/2021 को थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के बिना लोगों से पैसे ठगकर बच्चों को डेंगू/वायरल बुखार की दवाई पिला रहे 02 अभियुक्त 1. हरुन कुमार निमेश पुत्र रामरतन सिंह निवासी वन्दना बिहार, खोड़ा, थाना खोड़ा, जनपद गाजियाबाद, 2. लक्की पुत्र आविद अली निवासी 2/76/77 तेलीबाड़ा गुरुद्वारा, थाना शाहदरा दिल्ली को थाना क्षेत्र के छिजारसी से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 04 ड्राप की प्लास्टिक शीशी, एसबीएल होम्योपैथीक ड्राप की 01 शीशी व दवाई पिलाने के 08 फर्जी प्रमाण पत्र बरामद किये गये है।

अभियुक्तों का विवरण:

1.हरुन कुमार निमेश पुत्र रामरतन सिंह निवासी वन्दना बिहार, खोड़ा, थाना खोड़ा, जनपद गाजियाबाद।

2.लक्की पुत्र आविद अली निवासी 2/76/77 तेलीबाड़ा गुरुद्वारा, थाना शाहदरा दिल्ली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 1043/2021 धारा 420/120बी भादवि व धारा 15 इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, 1956 थाना फेस-3 गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

- 1.04 ड्राप की प्लास्टिक शीशी,
- 2.एसबीएल होम्योपैथीक ड्राप की 01 शीशी
- 3.08 फर्जी प्रमाण पत्र



#एचटीयू टीम द्वारा परिजनों से बिछड़े बच्चे को वापस परिजनों से मिलाकर लौटाई घर की खुशियां।

कमिश्नर गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर में शेल्टर होम्स जाकर बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसी अभियान के क्रम में दिनांक 07.10.2021 को एचटीयू प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र व उनकी टीम द्वारा शेल्टर होम साई कृपा सेक्टर 12/22 में जाकर बच्चों की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान परिजनों से बिछड़ गए एक बच्चे से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम व मूल पता बदायूं और वर्तमान पता दिल्ली का होना बताया। इसके उपरांत एचटीयू

टीम द्वारा बच्चे द्वारा बताए गए पते पर पहुंचकर जानकारी की गई तो वहां उसकी बहन मिली जिसने बताया की वह अपने भाई को अपने पिता के पास छोड़कर आई थी। फोन द्वारा बच्चे के पिता से बात करने पर पता चला की वह आजकल थाना सेक्टर-39 नोएडा क्षेत्र में रह रहा है, जहां से उक्त लड़का गुम हो गया था। एचटीयू टीम द्वारा गुमशुदा बच्चे के पिता को बुलाकर बच्चे को उनसे मिलवाया गया। तत्पश्चात सीडब्ल्यूसी के माध्यम से बच्चे को उसके पिता के सुपुर्द करने की अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में सामाजिक सरोकार के कार्य में कमिश्नरेंट की पुलिस अग्रणी होकर कर रही है कार्य

थाना सेक्टर-49 नोएडा पुलिस द्वारा चेतना संस्था व एचसीएल फाउंडेशन के सहयोग से जरूरतमंद बच्चों व उनके माता-पिता को हाइजीन किट व राशन कराया गया वितरण ।

पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नरेंट की पुलिस सामाजिक सरोकार के कार्य में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही है और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ सामाजिक सरोकार के माध्यम से दिलाया जा रहा है। इस कड़ी में दिनांक 07/10/2021 को थाना सेक्टर-49 नोएडा पुलिस द्वारा चेतना संस्था व एचसीएल फाउंडेशन के सहयोग से थाना सेक्टर-49 नोएडा क्षेत्र की पुलिस चौकी बरौला पर ग्राम बरौला के जरूरतमंद बच्चों व उनके माता-पिता को हाइजीन किट व राशन वितरित कराया गया। इस मौके पर चौकी इंचार्ज बरौला विशाल कुमार चौकी बरौला पर नियुक्त अन्य पुलिसकर्मियों और चेतना संस्था से असिस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजर चंद्रशेखर कुशवाहा और शिक्षक पूजा सिंह, ललिता तोमर व बॉबी चौहान के साथ उपस्थित रहे, जिनके द्वारा 160 से अधिक बच्चों को हाइजीन किट जिसमें साबुन, सेनिटाइजर, डेटॉल, मास्क आदि सामान था व उनके माता-पिता और 160 से अधिक अन्य जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरित किया गया। राकेश चौहान जिला सूचना अधिकारी गौतम बुद्ध नगर।